



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 44-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 8, 2019 (PHALGUNA 17, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 मार्च, 2019

संख्या 32/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1) और धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा, अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई सारणी के खाना (1) में यथाविनिर्दिष्ट मालों या सेवाओं या दोनों के अंतःराज्य प्रदाय पर, राज्य कर उक्त सारणी के खाना (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, खाना (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से उदगृहीत किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

प्रदाय का विवरण	दर (प्रतिशत)	शर्तें
(1)	(2)	(3)
किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में प्रथम अप्रैल को या उसके पश्चात् पचास लाख रुपए के सकल आवर्त तक माल या सेवाओं या दोनों का प्रथम प्रदाय	3	1. प्रदाय ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता हो, - (i) जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त पचास लाख रुपए या इससे कम था; (ii) जो उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन कर का भुगतान करने के पात्र न हों; (iii) जो ऐसे किसी प्रदाय करने में नियोजित न हो जिन पर उक्त अधिनियम के अधीन कर उदग्रहणीय न हो; (iv) जो किसी अंतर्राज्यीय जावक प्रदाय में नियोजित न हों; (v) जो न तो नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति हैं और न ही कराधेय अनिवासी व्यक्ति हैं;

प्रदाय का विवरण	दर (प्रतिशत)	शर्तें
(1)	(2)	(3)
		<p>(vi) जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कामर्स ऑपरेटर के माध्यम से किसी प्रदाय करने में नियोजित न हो जो धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित हो; और</p> <p>(vii) जो ऐसे मालों के प्रदाय करने में नियोजित न हों जिनका विवरण नीचे दिए गए अनुबंध के खाना (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त अनुबंध के खाना (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन आता हों।</p> <p>2. जहां एक से अधिक पंजीकृत व्यक्ति के पास समान स्थायी खाता संख्या हो जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केंद्रीय अधिनियम 43) के अधीन जारी किया गया हो, वहां प्रदायों पर राज्य कर का भुगतान सभी ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा इस अधिसूचना के खाना (2) में यथाविनिर्दिष्ट दर से किया जाता हो।</p> <p>3. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति अपने द्वारा किये गये प्रदाय के प्राप्तकर्ता से न तो किसी कर का संग्रहण करेगा और न ही वह किसी इनपुट कर प्रत्यय का हकदार होगा।</p> <p>4. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति, कर बीजक के स्थान पर, उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) में यथा संदर्भित प्रदाय का बिल, जारी करेगा और इसमें हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 49 में यथा विहित ब्यौरे भी दिए जाएंगे।</p> <p>5. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति प्रदाय के बिल के शीर्ष पर निम्नलिखित शब्दों का उल्लेख करेगा, अर्थात्:- हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 32/जीएसटी-2, दिनांक 08 मार्च, 2019 के अनुसार कर का भुगतान करने वाला कराधेय व्यक्ति, प्रदाय पर कर का संग्रहण करने के लिए पात्र नहीं है।</p> <p>6. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जो इस अधिसूचना के अधीन तीन प्रतिशत की दर से राज्य कर के भुगतान के विकल्प का चयन करता है, तो वह उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) या धारा 11 के अधीन जारी किसी अन्य अधिसूचना के होते हुए भी खाना (1) में विनिर्दिष्ट सभी जावक प्रदायों पर तीन प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करने का दायी होगा।</p> <p>7. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जो इस अधिसूचना के अधीन तीन प्रतिशत की दर से राज्य कर के भुगतान का विकल्प का चयन करता है, तो वह उन आवक प्रदायों पर राज्य कर का भुगतान करने का दायी होगा जिस पर वह उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4), जैसी भी स्थिति हो, के अधीन लागू दर पर कर के भुगतान का दायी होता हो।</p> <p>व्याख्या.— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, इस अधिसूचना के अधीन कर का भुगतान करने के लिए व्यक्ति की पात्रता के अवधारण "मालों या सेवाओं या दोनों के प्रथम प्रदाय" अभिव्यक्ति में वे प्रदाय भी शामिल हैं जो किसी वित्तीय वर्ष की प्रथम अप्रैल से लेकर उस तिथि तक के होंगे जिस तिथि से वह व्यक्ति, उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकरण कराए जाने का पात्र बन जाता हो लेकिन इस अधिसूचना के अधीन भुगतानयोग्य कर के अवधारण के प्रयोजन में ऐसी प्रदाय नहीं आएगा जो किसी वित्तीय वर्ष की प्रथम अप्रैल से लेकर उस तिथि तक का हों जिस तिथि से वह अधिनियम के अधीन पंजीकरण का पात्र बनता हो।</p>

अनुबंध

क्रम संख्या	टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1	2105 00 00	आईस-क्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे इनमें कोकोवा मिला हो या नहीं
2	2106 90 20	पान मसाला
3	24	सभी वस्तुएं अर्थात् तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के विकल्प।

2. इस अधिसूचना के अधीन तीन प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करने हेतु किसी पंजीकृत व्यक्ति की पात्रता के अवधारण के लिए सकल आवर्त की संगणना में ब्याज या बट्टा के माध्यम से अभिव्यक्त प्रतिफल की जहां तक हो वहां तक जमा, ऋण या अग्रिम को देकर छूट प्राप्त सेवाओं को किये जाने वाले प्रदाय के मूल्य को हिसाब में नहीं किया जाएगा।

3. व्याख्या.— इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

- "टैरिफ मद", "उप-शीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" का वही अर्थ होगा जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केंद्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष और अध्याय का है।
- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केंद्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची, जिसमें प्रथम अनुसूची के खंड और अध्याय नोट्स तथा सामान्य स्पष्टीकरण नोट्स जहां तक हो सके, शामिल हैं, की व्याख्या से संबंधित नियम इस अधिसूचना की व्याख्या के मामले में भी लागू होंगे।

4. यह अधिसूचना प्रथम अप्रैल, 2019 से लागू होगी।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 8th March, 2019

No. 32/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9, Sub-section (1) of Section-11, Sub-section (1) of Section-16 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as the "said Act"), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby notifies that the State tax, on the intra-State supply of goods or services or both as specified in column (1) of the Table below, shall be levied at the rate specified in the corresponding entry in column (2), subject to the conditions as specified in the corresponding entry in column (3) of the said table below, namely:-

Table

Description of supply	Rate (per cent.)	Conditions
(1)	(2)	(3)
First supplies of goods or services or both upto an aggregate turnover of fifty lakh rupees made on or after the 1st day of April in any financial year, by a registered person.	3	1. Supplies are made by a registered person,— (i) whose aggregate turnover in the preceding financial year was fifty lakh rupees or below; (ii) who is not eligible to pay tax under sub-section (1) of section 10 of the said Act; (iii) who is not engaged in making any supply which is not leviable to tax under the said Act;

		<p>(iv) who is not engaged in making any inter-State outward supply;</p> <p>(v) who is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person;</p> <p>(vi) who is not engaged in making any supply through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52; and</p> <p>(vii) who is not engaged in making supplies of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Annexure below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said annexure.</p> <p>2. Where more than one registered person are having the same Permanent account Number, issued under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), State tax on supplies by all such registered persons is paid at the rate specified in column (2) under this notification.</p> <p>3. The registered person shall not collect any tax from the recipient on supplies made by him nor shall he be entitled to any credit of input tax.</p> <p>4. The registered person shall issue, instead of tax invoice, a bill of supply as referred to in clause (c) of sub-section (3) of section 31 of the said Act with particulars as prescribed in rule 49 of Haryana Goods and Services Tax Rules.</p> <p>5. The registered person shall mention the following words at the top of the bill of supply, namely:-‘taxable person paying tax in terms of Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.32/GST-2, dated 08.03.2019, not eligible to collect tax on supplies’.</p> <p>6. The registered person opting to pay state tax at the rate of three percent under this notification shall be liable to pay state tax at the rate of three percent on all outward supplies specified in column (1) notwithstanding any other notification issued under sub-section (1) of section 9 or under section 11 of said Act.</p> <p>7. The registered person opting to pay state tax at the rate of three percent under this notification shall be liable to pay state tax on inward supplies on which he is liable to pay tax under sub-section (3) or, as the case may be, under sub-section (4) of section 9 of said Act at the applicable rates.</p> <p>Explanation.— For the purposes of this notification, the expression “first supplies of goods or services or both” shall, for the purposes of determining eligibility of a person to pay tax under this notification, include the supplies from the first day of April of a financial year to the date from which he becomes liable for registration under the said Act but for the purpose of determination of tax payable under this notification shall not include the supplies from the first day of April of a financial year to the date from which he becomes liable for registration under the Act.</p>
--	--	---

ANNEXURE

Serial Number	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.
2	2106 90 20	Pan masala
3	24	All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes

2. In computing aggregate turnover in order to determine eligibility of a registered person to pay state tax at the rate of three percent under this notification, value of supply of exempt services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account.

3. **Explanation.**— For the purpose of this notification,—

- (i) “tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapters specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (ii) the rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

4. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.